# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी** :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

**वाद पत्र संख्या** :– 101/2014

**उनवान**

1. नारायण पुत्र नरसा (मृतक दौराने दावा )
1/1 जगदीश, 1/2 सीताराम } पि0 नारायण जाति जाट निवासी बस स्टेण्ड कृष्णा कॉलोनी वार्ड नं0 6 शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
1/3 मंगली देवी पत्नि नारायण जाति जाट निवासी बस स्टेण्ड कृष्णा कॉलोनी वार्ड नं0 6 शाहपुरा
1/4 कमली पुत्री नारायण पत्नि रामजीलाल सारण जाति जाट
1/5 सन्ती पुत्री नारायण पत्नि हरफूल सारण जाति जाट
निवासी बिशनपुरा तहसील शाहपुरा
1/6 मीरा पुत्री नारायण पत्नि ओमप्रकाश पूनिया जाति जाट निवासी ढाणी पूनिया की तन शाहपुरा

**वादीगण**

**बनाम**

1. श्री भगवान पुत्र हरिकिशन जाति माथुर कायस्थ निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
2. उप पंजीयक तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

**प्रतिवादीगण**

4. छीतर
5. गोपी
6. शिम्भूदयाल
7. रामेश्वर उर्फ राजीव

} पि0 देवा जाति जाट निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

**तरतीबी प्रतिवादीगण**

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी0

**आदेश दिनांक** 18/3/2020

प्रार्थी/प्रतिवादी सं 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया कि वादी ने अपने वाद पत्र के जिमन नं0 5 में साबिक खसरा नम्बर 3198/1, 3199, 3200, 3202, 3203, 3204/1, 3206, 3201/2, 3204/2 में माधोसिंह पुत्र हरनाथ सिंह के द्वारा राजस्व रिकार्ड में स्वंय के नाम गलत रूप से खातेदारी दर्ज करवाने की तथा उसकी जानकारी होने पर स्वंय के बुजुर्गान द्वारा अपने नाम खातेदारी अंकित कर दुरूस्ती करवाने का अंकन किया है जबकि वादी ने स प्रकार का कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है तथा जब वादीव वादी के बुजुर्गान को इस गलत रूप से उक्त आराजी की खातेदारी माधोसिंह पुत्र हरनाथ सिंह द्वारा अपने नाम दर्ज करवाने की पूर्ण रूप से जानकारी हो गई थी तो क्यों नही वादी ने सम्पूर्ण खातेदारी आराजी की दुरूस्ती करवाई इस बात का अंकन वादी ने अपने वाद पत्र में कहीं भी नहीं किया है।

इसी प्रकार वादी ने अपने वादपत्र के जिमन नं0 6 में विवादित आराजी के सम्बन्ध में माधोसिंह पुत्र हरनाथ द्वारा दिनांक 15.3.1960 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में आराजी का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र किये जाने का अंकन किया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के सम्बनध में वादी द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है तथा जब तक रजिस्ट्री विकय पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है न्यायालय हाजा को उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकारी प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकारी प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी/वादी का वादपत्र सरसरी रूप से ही खारीज किये जाने योग्य है। कानूनन न्यायहित में भी प्रार्थी/वादी का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारीज किये जाने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

अप्रार्थी/वादी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर जाहिर किया कि पस्तुत प्रकरण मं प्रतिवादी सं0 1 के जवाबदावा पेश करने हेतु नियत थी किन्तु प्रतिवादी सं0 1 ने कई अवसर जवाब दावा हेतु लेने के पश्चात तथा उसकी सिविल प्रकिया संहिता में उल्लेखित समयावधि निकलने के पश्चात यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हे जो कानूनन चलने लायक नहीं है। अप्रार्थी/वादी ने जाहिर किया कि जिमन नं0 5 में उल्लेखित साबिक खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में माधोसिह के नाम गलत रूप से खातेदारी दर्ज करवाने की जानकारी होने सम्बन्धित तथ्य का अंकन स्वीकार करते हुए शेष के सम्बन्ध में जाहिर किया कि साबिक खसरा नम्बर का कोई विवाद नहीं है ना ही उनके सम्बन्ध में इस वाद में कोई अनुतोष चाहा गया है। इसलिए इस सम्बन्ध में दस्तावेज पेश किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में घोषणा के सम्बन्ध में समयावधि वांछित नहीं है । प्रतिवादी ने प्रकरण को देरी करने व अपनी जवाब देही बंद होने की संभावना से यह प्रार्थना पत्र बिना किसी हक व आधार व अधिकार के पेश किया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 जरिये अधिवक्ता दिनांक 7.7.14 को उपस्थित हो गया व अन्दर अवधि 30 दिवस प्रतिवादी सं0 1 द्वारा कोई वादोत्तर प्रस्तुत न कर वांछित समयावधि निकल जाने के पश्चात दिनांक 10.10.14 को वकालतनामा प्रस्तुत किया व जवाब हेतु अवसर चाहते रहे व उसके एक वर्ष पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी जाहिर किया कि वादी द्वारा अपने अधिकारों के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद दायर किया है । प्रतिवादी को अपने समस्त आधारों व आपत्तियों को अपने वादोत्तर में उल्लेख करना चाहिए जिसका न्यायालय द्वारा विवाधक कायम कर निस्तारण किया जा सकता है। प्रतिवादी को प्रार्थनापत्र के माध्यम से आपत्ति लाने का अधिकार नहीं है न ही प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कानून की ही पूर्ति करता है । वादी द्वारा प्रस्रूतुत प्रकरण भूमि की घोषणा खातेदारी के सम्बन्ध में है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अन्त में अंकन किया कि वादी का वाद कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता है । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कानून की पूर्ति नहीं करने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत वादपत्र में कोई वाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी/वादी ने स्वंय अपने वादपत्र मे यह अभिकथन किया है कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग नरसा देवा को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात होने की जानकारी होने पर पूर्व में न्यायालय से रिकार्ड में दुरूस्ती करवाली गई तो उक्त वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी मुतनाजा के गलत राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात की पूरी दुरूस्ती क्यों नहीं करवाई गयी । प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी मुतनाजा क्रय की गई है बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाये न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है । पूर्व में शुद्वि पत्र द्वारा हिस्सा ठीक करवा लिया गया है। इस भूमि पर अन्य पक्षकार भी है, कोपरटिव सोसायटी को आवश्यक पक्षकार संयोत्रित नहीं किया गया है, दावा खारिज फरमाया जावें ।

बहस का जवाब देते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी /वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आराजी मुतनाजा में वादी 2/3 हिस्से का व प्रतिवादी 1/3 हिस्से के खातेदार है। भूमि का विक्रय उसके हिस्से ज्यादा का किया गया है जो शुन्य है। इस आराजी मुतनाजा का नियमानुसार बंटवारा कभी भी नहीं हुआ है। साक्ष्य व सबूत से दावा निर्णित होना चाहिए । प्रार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दु तथ्य व कानून से मिश्रित प्रश्नहै, वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 क तहत निर्णित नहीं किये जा सकते । प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कानून की पूर्ति नहीं करने से खारिज योग्य है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2018(1)आर आर टी 191, 2018(11)आर आर टी 629 (एच सी ), 2019(11)आर आर टी 264, 2019(11)आर आर टी 116, 2018 आरबीजे 78, 2018 आरबीजे 449 के प्रतिपादित सिद्वान्तो की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया ।

हमने उभय पक्षो के अभिवचनों पर गोर किया तथा प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरां का भी ससम्मान अध्ययन कर मनन किया । हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी ने मूल रूप से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बिन्दु वादपत्र में विनाये दावा पैदा नहीं होने तथा न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार नहीं होने से दावा विधि से वर्जित होने के आधार पर दावा खारिज किये जाने की इस्तदुआ की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादी द्वारा अपने वादपत्र के जिमन नम्ब 13 में विवाद का कारण वादपत्र के खण्ड सं01में वर्णित आराजी मुतनाजा के 2/3 भाग की साबिक खातेदारी उनके बुजुर्गो के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना तथा खण्ड सं0 2 व 3 के अनुसार कबिज काश्त होना एवं खण्ड सं0 4 के अनुसार गलत रूप से खातेदारी दर्ज होने, खण्ड सं0 6 के अनुसार गलत रूप से विकय पत्र पंजीबद्व करवाने व खण्ड 7 के अन्तर्गत गलत रूप से खातेदारी का नामान्तकरण करवाने, खण्ड सं0 8 के अनुसार आराजी मुतनाजा के निर्धारित किये गये हाल आराजी ख0नं0 पर खण्ड सं0 9, 10 व 11 के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने से उत्पन्न होने का उल्लेख किया है। हम विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी के इस मत से पूर्णतया सहमत है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण करते समय सिर्फ वाद पत्र में किये गये प्रकथनों पर ही विचार किया जा सकता है। जब वाद पत्र से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वाद का कारण प्रकट नहीं किया है अथवा दावा विधि से वर्जित है, जैसाकि आर बी जे (25)2018पेज नं0 78 में अभिनिर्धारित किया गया है, लेकिन हस्तगत मामले में स्वंय अप्रार्थी/वादी ने अपने वादपत्र के जिमन नम्बर 5 में वादी एवं उनके बुजुर्गान की आराजी मुतनाजा को छोड़कर अन्य खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुए गलत इन्द्राजात की दुरूस्ती करवाई जाना स्वीकार किया है । अब स्वतः ही यह प्रश्न उठता है कि उनके द्वारा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात की जानकारी होने के बावजूद भी तत्समय इसकी दुरूस्त किन कारणो से नहीं करवाई जा सकी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी/वादी एवं उनके योग्य अधिवक्ता द्वारा कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की गई है एव ना ही यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 15.3.1960 को आराजी मुतनाजा के प्रतिवादी सं0 1 के हक में बैचान के पंजीबद्व करवाये गये विकय पत्र के लगभग 54 वर्षो की लम्बी अवधि के पश्चात उनके कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने एवं राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात की दुरूस्ती नहीं करवाने की अचानक धमकी देने आदि से बिनाय दावा कैसे उत्पन्न हुआ । इस प्रकार वादपत्र में वर्णित तथ्यों से ही वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व विनायदावा उत्पन्न नहीं होना विदित होता है।

अप्रार्थी/वादी ने अपने वाद पत्र के खण्ड सं0 6 में आराजी मुतनाजा के बेचान का विकय पत्र दिनांक 15.3.1960 को प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में पंजीबद्व होना तथा खण्ड सं0 7 में उक्त पंजीबद्व विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 162 सम्वत् 2019 में स्वीकार होकर प्रतिवादी सं0 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होने तथा नामान्तकरण सं0 173 सम्वत् 2019 के द्वारा आराजी साबिक खसरा नम्बर 3191/1 रकबा 11 बिस्वा की खातेदारी मैनेजर कय विकय संघ सहकारी समिति शाहपुरा के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है, किन्तु उक्त कय विकय संघ को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, इस प्रकार हस्तगत वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के दोष से भी ग्रसित है, दूसरी ओर यह भी उभयपक्षों का स्वीकार्य तथ्य है कि आराजी मुतनाजा के बेचान का विकय पत्र प्रतिवादी सं0 1 के नाम पंजीबद्व हो चुका है तथा इसके आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं01 नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज हो चुकी है ऐसी स्थिति में जब तक प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में किये गये बैचान के रजिस्टर्ड विकय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं करा लिया जाता तब तक अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में हमे न्यायिक दृष्टान्त 2008 (1)आर आर टी 237 में अभिनिर्धारित सिद्वान्त से भी बल मिलता है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि **" वादी ने वाद पत्र पेश करने के पूर्व रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा भूमि बेचान की – आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार किया ओर वाद खारिज किया– 8/7/2004 को क्रेतागण के पक्ष में नामान्तकरण खोला ओर राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की–भूमि में वादी का स्वत्व व अधिकार नहीं –निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष –वादी रिकार्डेड खातेदार नहीं "** प्रश्नागत वाद में विवादाग्रस्त भूमि का दिनांक 15.3.1960 को प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में विकय पत्र पंजीबद्व हो चुका है ओर इसके आधार पर जरिये नामान्तकरण सं0 162 सम्वत् 2019 से केता प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी भी दर्ज हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी/वादी का वादपत्र उक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में पोषनीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी के द्वारा उद्वत न्यायिक दृष्टान्तो में प्रतिपादित सिद्वान्तों में वर्णित तथ्य भिन्न होने से हस्तगत वाद में चस्पा नही होते है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी का दावा पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2020 को सरै इजलास सुनाया गया ।

( नरेन्द्र कुमार मीना )
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर